हड़ताल नहीं ये तालाबंदी है! जनवादी हक़ों की लड़ाई में मारुति के मज़दूरों का साथ दें!

मारुति – सफलता की असलियत – मज़दूरों का शोषण

राजधानी दिल्ली की सरहद पर गुड़गाँव के नज़दीक इंडस्ट्रियल एरिया आई.एम.टी. मानेसर है, जहाँ कई देशी व विदेशी बड़ी कंपनियों के कारख़ाने हैं। इन्हीं में एक मारुति सुजुकी भी है। पिछले एक दशक में इस कंपनी के अन्दर मैनेजमेंट तथा कामगारों के बीच कई संघर्ष हुए जैसे 2000-01, 2001-07, और अब 2011 में की गयी तालाबंदी। तीनों संघर्षों के कारण, आधार और माँगें अलग-अलग थीं लेकिन सबमें एक बात समान थी कि ये सभी संघर्ष मैनेजमेंट द्वारा मज़दूरों को उनके जायज़ हक़ नहीं देने के कारण हुए। मज़दूरों की मेहनत के दम पर मारुति सुजुकी साल-दर-साल सैकड़ों करोड़ रुपये का मुनाफ़ा कमाती रही है लेकिन इसकी कीमत मज़दूरों को बहुत अधिक वर्कलोड और वेतन में कटौतियों के रूप में चुकानी पड़ती है।

सन् 2000 में गुड़गाँव प्लांट की मज़दूर यूनियन "*मारुति उद्योग एम्पलॉइज़ यूनियन*" के बैनर तले प्रोत्साहन भत्ते को लागू करने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। मैनेजमेंट ने इसके जवाब में मज़दूरों से गुड कंडक्ट (अच्छे आचरण) के शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालना शुरू कर दिया जिसका मज़दूरों ने कड़ा विरोध किया। इस घटना के बाद मैनेजमेंट ने पुरानी यूनियन के अगुआ लोगों को क्रमशः बाहर करके अपने प्रभाव वाली यूनियन का गठन कराया। इसके बाद सन् 2001 से ही मारुति उद्योग के करीब 1000 स्थायी कामगारों को ज़बर्दस्ती वी.आर.एस. देकर सेवानिवृत्त कर दिया गया। अब 2011 में मारुति के मानेसर प्लांट के कामगारों का आंदोलन हमारे सामने है।

मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट की एक यूनिट में सन् 2006 में कार उत्पादन शुरू हुआ। इस प्लांट में तकरीबन 2500 मज़दूर काम करते हैं जिनमें करीब 1000 ही स्थायी हैं, बाकी कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट, और अप्रेंटिस श्रेणी के मज़दूर काम कर रहे हैं। इस प्लांट में 8-8 घंटे की दो शिफ्ट में काम होता है। लेकिन सभी मज़दूरों को 15 मिनट पहले आकर मीटिंग में शामिल होना होता है। यदि मज़दूर एक मिनट भी देरी से आता है तो उसका आधे दिन का वेतन काट लिया जाता है। इस तरह पूरी शिफ्ट लगभग 9 घंटे की होती है जिसमें 30 मिनट लंच का समय होता है और 7-7 मिनट के दो 'टी-ब्रेक' होते हैं। इतनी ही देर में उन्हें जाकर चाय पीनी होती है और टॉयलेट आदि से निपटना होता है। काम पर वापस लौटने में एक मिनट की देरी पर भी वेतन से भारी कटौती की जाती है। प्रशिक्षण के दौरान मज़दूर को 7-8 हजार रुपये मिलते हैं, प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात 16000 रुपये मिलने की बात होती है। इसमें 8000 रुपये डी.ए. सहित वेतन है, इसके अलावा 8000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है। लेकिन यदि कोई मज़दूर किसी भी परिस्थिति में एक दिन की भी छुट्टी लेता है तो उसके प्रोत्साहन भत्ते से 1500 रुपये, दो दिन की छुट्टी पर 2200 रुपये और महीने में 4 छुट्टियाँ लेने पर 7000 रुपये तक काट लिये जाते हैं। प्लांट शुरू होने से लेकर आज तक किसी भी मज़दूर को पूरा वेतन कभी नहीं मिला है, मैनेजमेंट किसी न किसी बहाने से वेतन काट ही लेता है। यहाँ मज़दूरों को जूनियर, एसोशियट जूनियर आदि कई श्रेणियों में बाँटा गया है। जूनियर मज़दूर को एसोशियट जूनियर बनने में छह साल लगते हैं। कंपनी चाहे तो इसे बढ़ा भी सकती है। मानेसर प्लांट में अभी तक कोई भी एसोशिएट नहीं बना है। बहुत से ट्रेनी मज़दूर तीन साल बीत जाने के बाद भी ट्रेनी ही बने रहते हैं। ठेका मज़दूरों की दशा तो और भी बुरी है। वे बमुश्किल 4500-6000 कमा पाते हैं और उन्हें लगातार ओवरटाइम करना पड़ता है जिससे वे इन्कार नहीं कर सकते।

मैनेजमेंट द्वारा अपने अधिकारों के इस तरह हनन के ख़िलाफ़ ही मानेसर प्लांट के मज़दूरों ने गुड़गाँव यूनिट की मज़दूर यूनियन से अलग अपनी नई यूनियन बनाने की माँग उठायी थी क्योंकि मैनेजमेंट के इशारे पर चलने वाली पुरानी यूनियन उनकी माँगों पर ध्यान नहीं देती थी। दिलचस्प बात यह है कि सन् 2000 से ही मैनेजमेंट के प्रभाव वाली पुरानी यूनियन का कोई चुनाव नहीं हुआ था, परन्तु नई यूनियन की माँग के बाद मैनेजमेंट ने चुनाव की घोषणा कर दी। पिछली 16 जुलाई को हुए इस चुनाव का मानेसर प्लांट के लगभग सभी मज़दूरों ने बहिष्कार किया। इससे पहले 3 जून को जैसे ही मज़दूरों ने अपनी नई यूनियन के पंजीकरण का आवेदन श्रम विभाग को दिया, उसके अगले दिन 4 जून को मैनेजमेंट ने मज़दूरों से इस शपथपत्र पर हस्ताक्षर कराने शुरू कर दिये कि हम पुरानी यूनियन के सदस्य हैं और उससे संतुष्ट हैं। 10 प्रतिशत मज़दूरों से ज़बर्दस्ती इस पर हस्ताक्षर करा लिये गये, लेकिन फिर मज़दूरों ने इससे इंकार कर दिया। कागज़ वापस माँगे जाने पर मैनेजमेंट ने इंकार कर दिया और

इसके विरोध में 4 जून से मानेसर प्लांट में हड़ताल शुरू हो गई। मज़दूरों की एक प्रमुख माँग यह भी थी कि मानेसर परिसर में ही बन रहे दूसरे प्लांट में नई भरती करने के बजाय कई-कई साल से काम कर रहे प्रशिक्षित कांट्रैक्ट मज़दूरों और अप्रेंटिस को स्थाई किया जाये। 6 जून को कंपनी ने 11 मज़दूरों को बर्खास्त कर दिया। 13 दिनों की हड़ताल के दौरान करीब 2000 मज़दूर कारख़ाने के भीतर ही धरने पर बैठे रहे। 17 जून को हरियाणा के श्रम मंत्री की मौजूदगी में मैनेजमेंट और मज़दूरों के बीच हुए समझौते के तहत 11 बर्खास्त मज़दूरों को वापस लिया गया। उस समय जुबानी आश्वासन दिया गया कि यूनियन की माँग पर श्रम विभाग जाँच करके निर्णय लेगा। लेकिन जुलाई में ही मैनेजमेंट ने 4 मज़दूरों को अनुशासनहीनता और लापरवाही का आरोप लगाकर निकाल दिया। इसी बीच 14 अगस्त को श्रम विभाग ने नई यूनियन की माँग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मज़दूर अपनी यूनियन का आवेदन देने के अगले दिन 4 जून को हड़ताल पर चले गये तथा ये सभी मज़दूर दूसरी यूनियन के सदस्य हैं। ये दोनों ही आपत्तियाँ ग़लत थीं और मज़दूर इसे क़ानूनी चुनौती देने की बात सोच ही रहे थे कि 29 अगस्त से मैनेजमेंट ने कंपनी के गेटों को सील कर दिया और शर्त लगा दी कि जो मज़दूर गुड कंडक्ट बांड पर हस्ताक्षर करेंगे वहीं भीतर जा सकेंगे। जनवाद के उसूलों का उल्लंघन करने वाले इस शपथपत्र में लिखा है कि अगर मज़दूर किसी भी तरह की आंदोलनात्मक गतिविधि में हिस्सा लेंगे तो उन्हें बिना नोटिस बर्खास्त किया जा सकता है। इसके बाद से अब तक 57 मज़दूरों को बर्खास्त या निलंबित किया जा चुका है।

मानेसर प्लांट के मज़दूरों का साफ कहना है कि इस समय कंपनी में '*लॉकआउट*' है, हड़ताल नहीं, यानी हम काम करना चाहते हैं मगर कंपनी ने जबरन तालाबंदी की हुई है। अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन बनाने का अधिकार संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार है। ट्रेड यूनियन ऐक्ट, 1926 के तहत भी मज़दूरों को अपनी यूनियन गठित करने का अधिकार मिला हुआ है। जब मारुति के लगभग सभी मज़दूर अपनी यूनियन बनाने पर सहमत हैं तो इससे इंकार करके कंपनी मैनेजमेंट सरासर ग़ैरक़ानूनी हरकत कर रहा है और हरियाणा सरकार इसमें उसका साथ दे रही है। आज मज़दूरों से यूनियन बनाने का अधिकार छीना जा रहा है ताकि नवउदारवादी पूँजीवादी नीतियों के तहत अपने शोषण और लूट के ख़िलाफ़ मज़दूर एक होकर आवाज़ भी न उठा सकें। मारुति ने पिछले साल 2200 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा दर्ज किया, इसका बहुत बड़ा हिस्सा मज़दूरों के वेतन काटकर और उनके लोकतांत्रिक हक़ों के हनन से प्राप्त किया गया है। मानेसर के मज़दूर कोई बड़ी माँग नहीं कर रहे हैं। वे सर्वप्रथम मैनेजमेंट से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मान्यता चाहते हैं। मज़दूरों की मुख्य व तात्कालिक माँगें हैं:

1. **ग़ैरक़ानूनी तालाबंदी को ख़त्म किया जाये और गुड कंडक्ट बांड को वापस लिया जाये।**
2. **जिन मज़दूरों को निकाला व निलंबित किया गया है उन्हें बिना शर्त वापस लिया जाये।**
3. **"मारुति सुज़ुकी एम्पलॉइज़ यूनियन" को मान्यता दी जाये।**
4. **मज़दूरों के ख़िलाफ़ दाखिल चार्जशीट व शिकायतें वापस ली जायें।**

हरियाणा सरकार और श्रम विभाग मज़दूरों की इन लोकतांत्रिक माँगों को खारिज करके "विकास" के नाम पर कंपनी का साथ दे रहे हैं जिससे उनका मज़दूर विरोधी चेहरा साफ उजागर हो गया है। **देश की सारी "तरक्की" जिन मज़दूरों की मेहनत के दम पर हो रही है उन्हें ही न्यूनतम अधिकारों से वंचित रखना और "जनप्रतिनिधियों" द्वारा उनके शोषण में मदद करना अपने आप में एक भ्रष्टाचार है! हम सभी इंसाफ़पसंद और लोकतांत्रिक नागरिकों से अपील करते हैं कि अपने बुनियादी अधिकारों के लिए मारुति के मज़दूरों के संघर्ष में उनका साथ दें।**

पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रेटिक राइट्स (दिल्ली)

पीपल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स (हरियाणा)

मारुति सुज़ुकी के मज़दूर आन्दोलन के समर्थन में नागरिक मोर्चा

संपर्क सूत्र: 9910262062 (परमजीत, पीयूडीआर), ... (पंकज, पीयूसीआर), 9910462009 (सत्यम, नागरिक मोर्चा)